राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority
भाद्र 31, गुरुवार, शाके 1933–सितम्बर 22, 2011
Bhadra 31, Thursday, Saka 1933–September 22, 2011

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 22, 2011

संख्या प. 2(35) विधि/2/2011:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई, एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 24)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 सितम्बर, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करने और राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में कतिपय संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन**.-(1) राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 15), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के अधीन निगमित राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय का नाम इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से "डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर" होगा।

3 29

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में या किसी भी अनुबंध, लिखत या अन्य दस्तावेजों में राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रति किये गये किसी भी निर्देश को इस अधिनियम द्वारा उसके यथापरिवर्तित नाम से उस विश्वविद्यालय के प्रति निर्देश के रूप में पढा और अर्थान्वित किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम में की कोई भी बात उक्त विश्वविद्यालय की निगमित प्रास्थिति की निरंतरता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

3. **संशोधन.**-(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से मूल अधिनियम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा तक और रीति से संशोधित हो जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबंध धारा 2 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

4. मूल अधिनियम का प्रोद्धरण.- मूल अधिनियम को डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 के रूप में प्रोद्धृत किया जायेगा।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

धारा 1.- उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

धारा 2.- खण्ड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ढ) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन गठित डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अभिप्रेत है;"।

धारा 3.- उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''"सजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय"'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''''डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर'''' प्रतिस्थापित की जायेगी।

प्रकाश गुप्ता,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(Group-II)

NOTIFICATION

Jaipur, September 22, 2011

No. F. 2(35) Vidhi/2/2011.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Ayurved Vishwavidhyalaya (Nam Parivartan) Adhiniyam, 2011 (2011 Ka Adhiniyam Sankhyank 24):-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN AYURVED UNIVERSITY (CHANGE OF NAME) BILL, ACT, 2011

(Act No. 24 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 21st day of September, 2011]

An

Act

to change the name of the Rajasthan Ayurved University and to make certain amendments in the Rajasthan Ayurved University Act, 2002.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Ayurved University (Change of Name) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. Change of name of the Rajasthan Ayurved University.- (1) The name of the Rajasthan Ayurved University incorporated under the Rajasthan Ayurved University Act, 2002 (Act No. 15 of 2002), hereinafter referred to as the principal Act, shall, as from the date of commencement of this Act, be "The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur".

331

(2) Any reference to the Rajasthan Ayurved University in any law for the time being in force or in any indenture, instrument or other documents shall be read and construed as a reference to that University under its name as altered by this Act.

(3) Nothing in this Act shall affect the continuity of the corporate status of the said University.

3. Amendment.- (1) As from the date of commencement of this Act, the principal Act shall stand amended to the extent and in the manner specified in the Schedule.

(2) The provisions of sub-section (1) shall be without prejudice to the generality of the provisions of section 2.

4. Citation of the principal Act.- The principal Act may be cited as The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act, 2002.

THE SCHEDULE

(See section 3)

Section 1.- In sub-section (1), for the existing expression "the Rajasthan Ayurved University Act", the expression "the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur Act" shall be substituted.

Section 2.- For clause (n), the following clause shall be substituted, namely :-

"(n) **'University'** means the Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur constituted under this Act;".

Section 3.- In sub-section (1), for the existing expression " 'The Rajasthan Ayurved University' ", the expression "The Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur" shall be substituted.

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

53

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1337] नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2016/ज्येष्ठ 11, 1938
No. 1337] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2016/ JYAISTHA 11, 1938

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मई, 2016

का.आ. 1929(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

"आयुर्वेद और सिद्ध" संबंधी दूसरी अनुसूची के भाग-1 में, "राजस्थान" शीर्षक के अधीन, क्रम संख्यांक 92ख के समक्ष स्तंभ (1) में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:

"डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर"

[फा. सं. वी.12013/18/2011–ईपी(आईएम-2)]

अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र में का. आ. सं. 2994(अ), तारीख 10 अगस्त, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का. आ. सं. 1279(अ), तारीख 22 मार्च, 2016 द्वारा किया गया था।